सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड , भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्र.नि.वि.1/स-3/म.कि.भत्ते./डी- 771 दिनांक 24.07.2023

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय :- भोपाल प्रशिक्षण के दौरान, भोपाल में लागू दर से मकान किराये भत्ते का भुगतान किये जाने बावत |

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालो (संलग्न सूची के अनुसार) का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16.06.2023 से 15.12.2023 तक भोपाल में आयोजित किया जाना है |

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या 2/5/2017-ई-II (बी) नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार 'y' सिटी के लिए स्वीकार्य मकान किराया भत्ता 18% निर्धारित है, चूँकि भोपाल 'y' सिटी के अंतर्गत आता है | अतः परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालो को प्रशिक्षण के दौरान पात्रतानुसार, मकान किराया भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करे |

(प्राधिकार: उप महालेखाकार (नि.ले.) के आदेश दिनांक 24.07.2023)

Archana Saxena
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

पृ. क्रमांक/नि.वि.1/स-3/म.कि.भत्ते ./डी- 772 दिनांक 24.07.2023

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, खण्ड-अ, पंचम तल, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल (म.प्र.)
2. सम्बंधित परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल (संलग्न सूची अनुसार)
3. समस्त सम्बंधित जिला कोषालय अधिकारी (म.प्र.)

Archana Saxena
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

क्र.	परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल का नाम	संभाग का नाम
1.	श्री मोहसिन खान	रानी अवन्ती बाई सागर, बायी तट नहर संभाग क्रमांक-2, बरगी हिल्स, जबलपुर
2.	श्री साहिद अली	जल संसाधन संभाग, अम्बाह मुरैना
3.	श्री सचिन मेहता	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, उज्जैन
4.	श्री आशीष अग्रवाल	जल संसाधन संभाग, अशोकनगर
5.	श्री विमल कुमार शर्मा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, क्रमांक 2, सागर
6.	श्री राहुल साहू	भांडेर मुख्य नहर संभाग, भांडेर, दतिया
7.	कु. पूजा कुमारी	भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-5, जबलपुर
8.	श्री आदर्श कुमार	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सतना
9.	श्री अनुराग सिंह राजावत	जल संसाधन संभाग, लहार शाखा नहर संभाग, लहार भिंड
10.	कु. ऐश्वर्या वर्मा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, नर्मदापुरम
11.	श्री शरदेन्दु शेखर	जल मौसम विज्ञान संभाग क्र.3 रीवा
12.	श्री अंकित सौरभ	लाइट मशीनरी एंड ई & एम संभाग नरसिंहपुर
13.	श्री जितेन्द्र कुमार मौर्य	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर
14.	श्री प्रमोद कुमार बिलोनिया	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, झाबुआ
15.	श्री हिमान्शु	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, आगरमालवा
16.	श्री पंकज कुमार	जल संसाधन संभाग, राघोगढ़, गुना
17.	देवेन्द्र कुमार यादव	रानी अवन्ती बाई लोधी सागर, नर्मदा विकास (वि/यां) संभाग क्रमांक 2, बरगी नगर, जबलपुर

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

7571C

संख्या 2/5/2017-ई.।।(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) दिए जाने के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने यह विनिश्चय किया है कि इस मंत्रालय के तारीख 27 नवम्बर, 1965 के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(37)-ई.।।(बी)/64, 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(13)/2008-ई.।।(बी) और 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के उपांतरण में मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता इस प्रकार होगी-

नगरों/कस्बों का वर्गीकरण	केवल मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में प्रति माह मकान किराया भत्ता की दर
'एक्स'	24%
'वाई'	16%
'जैड'	8%

2. 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' वर्ग के नगरों में मकान किराया भत्ता की दरें क्रमशः 5400 रुपए, 3600 रुपए और 1800 रुपए से कम नहीं होंगी।

3. महंगाई भत्ता जब 25 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा तो 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' वर्ग के नगरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित करके क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत कर दी जाएंगी तथा महंगाई भत्ता जब 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा तो ये दरें आगे पुनरीक्षित करके क्रमशः 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दी जाएंगी।

4. पुनरीक्षित वेतन संरचना में **'मूल वेतन'** शब्द का अर्थ है- वेतन मैट्रिक्स के विनिर्धारित वेतन लेवलों में आहरित वेतन और इसके अंतर्गत प्रैक्टिसबंदी भत्ता (एनपीए), सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी), आदि अथवा विशेष वेतन, आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

5. मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन से, व्यय विभाग के 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के अंतर्गत 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' के रूप में वर्गीकृत नगरों की सूची, इस आदेश के साथ **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

6. फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर दिल्ली ('एक्स' वर्ग का नगर) की दरों, जालंधर छावनी पर जालंधर ('वाई' वर्ग का नगर) की दरों, शिलौंग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर पर 'वाई' वर्ग के नगर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रहने के बारे में विशेष आदेश तथा इस मंत्रालय के तारीख 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के पैरा 4 एवं 03 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2/2016-ई.।।(बी) के अंतर्गत चंडीगढ़ ('वाई' वर्ग का नगर) के समान

पंचकुला, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के लिए मकान किराया भत्ता जारी रखने की जो अनुमति दी गई थी, वह अनुमति अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

7. विद्यमान आदेशों के अंतर्गत मकान किराए भत्ते की देयता को संचालित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू बनी रहेंगी।

8. ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं।

9. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें भुगतान **रक्षा सेवा प्राक्कलनों** से किया जाता है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

10. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि- मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि-

- **नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि- मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।**